

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

आदेश क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 462
प्रति,


भोपाल दिनांक 16.04.2020

- 1 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश
- 2 समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषय: कोविड-19 के संदिग्ध / पुष्ट प्रकरणों में मृत्यु होने पर मृतक के शव प्रबंधन एवं निपटान संबन्धी दिशा
निर्देश के संबन्ध में।

उपरोक्त विषयानुसार पूर्व में आपको विस्तृत निर्देश जारी किये गए थे जिसे पुनः दिनांक 10 अप्रैल 2020 को दोहराया गया था। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है की निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तथा संदिग्ध प्रकरणों के शवों को अनावश्यक रूप से लेबोरेटरी रिपोर्ट की प्राप्ति तक मोरचरी में रखा जा रहा है जो की उचित नहीं है। अतः संदिग्ध प्रकरणों का शव प्रबंधन एवं निपटान पुष्ट प्रकरणों हेतु दिशानिर्देश अनुसार ही किया जाना है।

अतः पुनः उक्त दिशानिर्देश आपकी और भिजवाए जा रहे हैं, यदि भविष्य में दिशानिर्देश उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है तो अनुशासनत्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।




आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 463
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 16.04.2020

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्यप्रदेश।
- 2 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
- 3 समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।



आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

अथवा, प्रत्यक्ष

mailed / and on 4/10/2020 / 11:21
am,

000001, 000002 10/04/2020

१. रामस्त लो-रीम-रतितान्म, एवास्म्य जीमार्थे मम ।
२. रामस्त मूल्य विविक्त्या एतं एवास्म्य ज्ञीमवशी, मम ।
३. रामस्त शिवित्वा राजीव सात मुरम्य ज्ञमवसान ज्ञीमवशी, मम ।
४. रामस्त विमवस्थम्यम्य विविक्त्या ज्ञीमवशी मम ।

[illegible]

11

[illegible][illegible]

रक्षित: पत्र की आवश्यकता

✓
10/11/1966
Signed,

लोक सारसंग एव महिम्नः कथ्यमान विष्णुः

၂၀ နတ်ကံ / ခုနစ်လှိုင် / ၂၀၂၀ / ၄-၄

ԴՊՈՒՇ, ԻՃՎԵՆ ԿՈ / 03 / 2020

प्रतिलिपि - शुभार्थ !

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गैजालम, गन्तव्य भवन, म.प्र.।
2. विशेष सचिवलोक, ए.एच.एच. म.प्र.।
3. समस्त मन्त्रालय, म.प्र.।
4. समस्त जिला मन्त्रालय प्रवर्तक, ए.एच.एच. म.प्र.।

Signature

लोक सारस्य एत परिहार कल्याण विना

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल-7/2020/

भोपाल, दिनांक /03/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।

विषय:- कोविड-19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने पर मृतक के शव का प्रबंधन एवं निपटान संबंधी दिशा निर्देश।

संदर्भ:- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी.ज.एच.एस. (ई.एम.आर. डिवीजन) द्वारा जारी मार्गदर्शिका दिनांक 15/03/2020।

विषयांतर्गत लेख है कि भारत में कोविड-19 को जन स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। वर्तमान में देश में 100 से अधिक प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट कोविड-19 के प्रकरण हैं एवं दिनांक 18/03/2020 की स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण से देश में 3 मृत्यु होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। भारत वर्ष में वर्तमान में भ्रमण इतिहास वाले कुछ प्रकरणों तथा Local Transmission या स्थानीय प्रसार वाले कुछ प्रकरणों की पुष्टि हुई है एवं समस्त संदिग्ध एवं पुष्ट प्रकरणों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर Isolation करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि, नोवेल कोरोना वायरस एक नवीन विषाणु है एतएव, कोविड-19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने की स्थिति में शव प्रबंधन एवं निपटान संबंधी जानकारी का अभाव होने के कारण भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्तमान परिदृश्य एवं जानकारी के आधार पर कोविड-19 के संक्रमित/संदिग्ध प्रकरणों में मृत्यु उपरान्त शव प्रबंधन एवं निपटान हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

निर्देशित किया जाता है कि:-


- कोविड-19 के संक्रमित संदिग्धों एवं पुष्ट प्रकरणों की मृत्यु उपरान्त शव के प्रबंधन के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मानक सावधानियाँ बरती जायें।
- संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित मानक निम्न व्यवहारों का अनुपालन सर्वथा किया जाये:-
 1. हाथों की स्वच्छता
 2. व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री का उपयोग (उदाहरणार्थ:- एप्रन, ग्लव्स, मास्क, चश्मा आदि)
 3. 'शार्प' / धारदार उपकरणों का सुरक्षित प्रबंधन
 4. शव के लिए उपयोग किये गये समस्त उपकरण, यंत्र, बिस्तर, गद्दे, चादर, तकिया, तकिया-गिलाफ, सतहों आदि का विषाणुमुक्ति
- शव प्रबंधन कर्मियों का संक्रमण रोकथाम व्यवहारों पर प्रशिक्षण- शव प्रबंधन हेतु कार्यरत कर्मचारी, संपर्क में आने वाले समस्त पैरामेडिकल स्टाफ जो आईसोलेशन वॉर्ड, मार्ब्यरी, एम्बुलेंस के संचालन हेतु कार्यरत हो तथा शमशान घाट/कब्रिस्तान के कर्मियों को संक्रमण नियंत्रण संबंधी मानक व्यवहारों पर प्रशिक्षित किया जाये।
- शव प्रबंधन हेतु उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित की जाये एवं Personal Protective Equipment-PPE जैसे एप्रन, ग्लव्स, एन-95 मास्क, चश्मा आदि का उपयोग किया जाये।
- शव में लगी समस्त नलियाँ निकाली जायें एवं पंचवर स्थानों की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराइट द्वारा किया जाये।
- मुख, नाक के छिद्रों को कॉटन से प्लग किया जाये ताकि शारीरिक स्राव को नियंत्रित किया जा सके।
- शव के बाहरी सतह को 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से विषाणुमुक्ति किया जाये तथा शव को रिसाव रोधी प्लास्टिक शव बैग में रख कर परिजनों को सौंपा जाये अथवा मॉर्चुयरी में अंतरित किया जाये।
- समस्त उपयोग किये गये लीनेन को बायोहैजार्ड बैग में भरा जाये तथा बैग के बाहरी सतह की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये।

संक्रमण नियंत्रण मापदण्डों का पालन करते हुए समस्त उपकरणों की विषाणुमुक्ति ऑटोक्लेव अथवा निर्धारित डिस्इन्फेक्टेन्ट सॉल्युशन का उपयोग कर सुनिश्चित किया जाये। समस्त मेडिकल अपशिष्टों का प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

- शव प्रबंधन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा Personal Protective Equipment-PPE को उतारने के उपरान्त हाथों की सफाई सुनिश्चित की जाये।
 - सतहों की विषाणुमुक्ति- आईसोलेशन वॉर्ड के समस्त सतह जैसे फर्श, बिस्तर, रेलिंग, साइड टेबल, आई-वी स्टैंड आदि को 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से पोंछा जाये, 30 मिनट की संपर्क अवधि सुनिश्चित कर हवा में सूखने दिया जाये।
 - मॉर्चुयरी में शव प्रबंधन- शीतकक्ष में शव का संधारण लगभग 4°C पर सुनिश्चित किया जाये। मॉर्चुयरी को साफ रखा जाये एवं समस्त सतहों, उपकरणों, परिवहन ट्रॉली/स्ट्रंचर आदि की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये तथा शव को हटाने के उपरान्त फर्श, दरवाजे के हैंडल आदि को 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से पोंछा जाये।
 - कोविड-19 संक्रमित शवों का पोस्टमॉर्टम- सामान्य स्थिति में पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थितियों में पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता होने पर सीमित फोरेंसिक विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित सपोर्ट स्टाफ द्वारा Personal Protective Equipment-PPE उपयोग करते हुए पोस्टमॉर्टम सुनिश्चित किया जाये। संक्रमण नियंत्रण हेतु समस्त सावधानियाँ बरती जाये एवं पोस्टमॉर्टम उपरान्त ओटोप्सीटेबल की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये।
 - शव परिवहन- यदि शव के परिवहन के दौरान रिसाव-रोधी बॉडीबैग का उपयोग किया जाता है जिसकी बाहरी सतह की विषाणुमुक्ति सुनिश्चित की गई हो, तो परिवहन कर्मियों को कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं होता। परन्तु शव के संपर्क में आने वाले समस्त कर्मियों द्वारा संक्रमण नियंत्रण संबंधी समस्त प्रोटोकॉल का पालन एवं सावधानी बरती जाये। परिवहन उपरान्त शव वाहन का विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराइट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये।
 - शमशान घाट/कब्रिस्तान में शव प्रबंधन हेतु निर्देश- समस्त मैदानी कर्मियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु हाथों की स्वच्छता, मास्क तथा ग्लव्स का उपयोग किया जाये। परिजनों को शव के अंतिम दर्शन करने दिया जाये परन्तु छूने, छूने, नहलाने आदि से रोका जाये। ऐसे धार्मिक परम्पराएँ जिनमें शव को छूने की आवश्यकता नहीं हो उसके लिए परिजनों को अनुमति दी जाये। शव के अंतिम संस्कार/दफनाने के बाद मैदानी कर्मियों तथा परिजनों द्वारा अच्छे से हाथों की सफाई सुनिश्चित की जाये।
 - शव दाह के उपरान्त राख का संग्रहण बिना किसी खतरे के किया जा सकता है।
- शमशान घाट/कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में सामूहिक जमाव को नियंत्रित किया जाये एवं Social Distancing के उपाय सुनिश्चित की जाये।

आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र. द्वारा अनुमोदित

संलग्न- भारत सरकार के शव प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश


संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल-7/2020/

भोपाल, दिनांक /03/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम, म.प्र।
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम, म.प्र।

॥
संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश